सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 6155 / 1141 / 2016 दिनांकः– 25.01.2017

के मामले में:

श्री सतीश कुमार सिन्हा, D735
श्रीराम नगर,
नजदीक गुप्ता दवा एजेन्सी,
मैना बाजार, मोतीहारी,
जिला – पूर्वी चम्पारण,
बिहार – 845401 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक, D736
द्वारा – शाखा प्रबन्धक,
मोतीहारी बाजार शाखा,
जिला – पूर्वी चम्पारण,
बिहार – 945401 .... प्रतिवादी संख्या 1

भारतीय स्टेट बैंक, D737
द्वारा – अध्यक्ष,
मैडम कामा रोड,
मुम्बई – 400 021 .... प्रतिवादी संख्या 2

सुनवाई की तारीखः 19.01.2017

उपस्थितः'–

शिकायतकर्ता अनुपस्थित ।

श्री विनय कुमार, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, जोकि 50 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति हैं, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमे इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है, के तहत भारतीय स्टेट बैंक, मोतीहारी बाजार शाखा, जिला – पूर्वी चम्पारण, बिहार स्थित अपने बचत खाता संख्या 10953147219 से एक करोड़ रूपये चोरी होने से संबंधित शिकायतें दिनांक 04.04.2016 और 02.08.2016 इस न्यायालय में फाइल कीं ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि मैंने पूर्वी चम्पारण जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोतिहारी बाजार शाखा में सितम्बर, 2008 में एक करोड़ रूपये जमा कराए थे जोकि

खाते से ही गायब हो गए । मैंने छतौनी थाना मोतिहारी तथा जिला पूर्वी चम्पारण पुलिस अधीक्षक से शिकायत की तथा आर.टी.आई. के तहत सूचना मांगी । यहां की पुलिस गाली देती है, नगर थाना इंस्पेक्टर अजय जी कार्यरत हैं तथा दरोगा सुसबोध झा ने मारा भी । अतः आपसे अनुरोध है कि उचित कार्रवाई करने की कृपा करें ।

3. मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मोतिहारी शाखा ने पत्र दिनांक 25.10.2016 द्वारा अन्य बातों के साथ यह सूचित किया है कि बैंक कर्मचारी द्वारा पासबुक पर की गई प्रविष्टि काटने पर उस पर दस्तखत किया जाता है जोकि प्रश्नगत पासबुक में नहीं की गई है । पुनः बैंककर्मी द्वारा पासबुक के विवरण कालम में प्रविष्टि नहीं की जाती है बल्कि जमा/निकासी के प्रकार का विवरण लिखा जाता है । प्रश्नगत पासबुक में विवरण कालम में राशि को लिखा गया है । खाता शेष कॉलम में कुल जमा राशि को जोड़कर प्रविष्टि की जाती है जबकि प्रश्नगत पासबुक में खाता शेष अलग—अलग लिखा गया है । बैंक की ओर से यह भी कहा गया कि श्री सतीश कुमार सिन्हा के खाता का माह सितम्बर, 2008 का खाता विवरण से स्पष्ट है कि उस माह में कोई लेन—देन नहीं किया गया है । शिकायतकर्ता के खाता में की गई एक करोड़ रूपये की प्रविष्टि गलत है और बैंककर्मी द्वारा नहीं की गई है । उक्त खाता से एक करोड़ रूपये चोरी होने की शिकायत पूर्णतः निराधार है ।

4. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 31.10.2016 के द्वारा बैंक के उत्तर दिनांक 25.10.2016 के प्रत्युत्तर में कहा है कि बैंक मैनेजर से बैंक के उस कर्मचारी का नाम जानना चाहा तो उन्होंने बताने से इन्कार किया, जोकि उन लोगों की मिलीभगत है । साफ—साफ शब्दों में एक करोड़ रूपए लिखा है और बचत खाता में टोटल किया गया है जहां काट—छांट का सवाल ही पैदा नहीं होता है । शिकायतकर्ता ने संबंधित रजिस्टर खोजवाने तथा अंकों ओर शब्दों को मिलान कराने का निवेदन किया है ।

5. जबकि प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर दिनांक 25.10.2016 और शिकायतकर्ता से प्राप्त प्रत्युत्तर दिनांक 31.10.2016 को ध्यान में रखते हुए मामले की सुनवाई दिनांक 19.01.2017 को निर्धारित की गई ।

6. दिनांक 19.01.2017 को सुनवाई में भाग लेने के लिए शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के सुनवाई नोटिस

.....3/—

दिनांक 04.01.2017 को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई थी । शिकायतकर्ता की ओर से मामले में अपने पक्षकथन के समर्थन में न तो उपस्थित होने और न ही सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे सूचित करने में दर्शित पूर्ण उपेक्षा को इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया है ।

7. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता श्री विनय कुमार ने प्रतिवादी के लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि शिकायतकर्ता की यह शिकायत कि उसके बैंक अकाउन्ट से एक करोड रूपये चोरी हो गए हैं, अविधिमान्य है जबकि लेखा विवरण के अनुसार इस प्रकार की कोई राशि उनक लेखे में जमा ही नहीं करवाई गई थी । उन्होंने आगे निवेदन किया कि चूंकि यह मामला लेखा विवरणी में छेड़छाड़ से संबंधित है, जोकि दांडिक प्रकृति का अपराध है । यह न्यायालय निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन सिविल प्रकृति के वादों की सुनवाई करता है । इसलिए इस न्यायालय के पास इस मामले को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाए ।

8. पक्षकारों की सुनवाई और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय ने यह पाया कि चूंकि यह मामला दांडिक प्रकृति का है, इसलिए प्रतिवादी को कोई निर्देश दिए बिना शिकायतकर्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपना मामला उपयुक्त न्यायालय के समक्ष उठाए ।

9. तदनुसार मामले का निपटारा किया गया ।

(डा.कमलेश कुमार पाण्डे)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन

प्रतिलिपिः–

श्री विनय कुमार, अधिवक्ता, D738
002, सी.के. दफॅतरी ब्लाक,
लाईयर्स चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
भगवान दास रोड, नई दिल्ली – 110001.